रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17102025-266983
CG-DL-E-17102025-266983

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 671] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 16, 2025/ आश्विन 24, 1947
No. 671] NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 16, 2025/ ASVINA 24, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 अक्तूबर, 2025

सा.का.नि. 755(अ).—केंद्रीय सरकार टक्कर मार कर भागना मोटर यान दुर्घटना पीड़ित प्रतिकर स्कीम, 2022, जिनमें मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 161 और धारा 215 की उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संशोधन करने का प्रस्ताव करती है, में संशोधन करते हुए निम्नलिखित कतिपय प्रारूप नियमों को इस अधिनियम की धारा 212 की उप-धारा (1) के द्वारा यथाबश्यक इसके द्वारा प्रभावित होने की संभावना वाले सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता है; और एतदद्वारा नोटिस दिया जाता है कि प्रारूप नियमों को उस तारीख से तीस दिन की अवधि समाप्त होने के बाद विचारार्थ स्वीकार कर लिया जाएगा जब से सरकारी राजपत्र में यथा प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियां जनता के लिए उपलब्ध करायी जाती हैं;

इन प्रारूप नियमों के प्रति आपत्तियों एवं सुझावों, यदि कोई हो, को अपर सचिव (एमवीएल), सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001, ईमेल: comments-morth@gov.in के पास या पर भेजा जा सकता है। इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि समाप्त होने के पहले उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में किसी भी व्यक्ति से प्राप्त होने वाली किन्हीं आपत्तियों या सुझावों पर केंद्र सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

प्रारूप नियम

1. शीर्षक एवं प्रारंभ – (1) इन नियमों को टक्कर मार कर भागना मोटर यान दुर्घटना पीड़ित प्रतिकर (संशोधन) स्कीम, 2025 कहा जाएगा।
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।

2. टक्कर मार कर भागना मोटर यान दुर्घटना पीड़ित प्रतिकर स्कीम, 2022 (जिसे इसमें आगे उक्त नियम कहा जाएगा) में, पैरा 2 में,-

(i) पैरा 2 को उप-पैरा (1) के रूप में क्रमांकित किया जाएगा;

(ii) उप-पैरा (1) के यथा क्रमांकित खंड (ख), (ग) और (घ) का लोप किया जाएगा;

(iii) उप-पैरा (1) के खंड (छ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्,—

“(छ) “जिला सड़क सुरक्षा समिति” से अधिनियम की धारा 215 की उप-धारा (3) के अंतर्गत गठित समिति अभिप्रेत है;”;

(iv) उप-पैरा (1) के खंड (ज) के पश्चात, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्,—

“(जक) “जीआई परिषद” से बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) की धारा 64ग के अंतर्गत गठित साधारण बीमा परिषद अभिप्रेत है;”

(v) उप-पैरा (1) के खंड (झ) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्, -

“(झअ) “पोर्टल” से इस स्कीम के प्रयोजन के लिए साधारण बीमा परिषद द्वारा विकसित और प्रबंधित वेब या इलेक्ट्रॉनिक आधारित प्रणाली अभिप्रेत है;”;

(vi) इस प्रकार क्रमांकित उप-पैरा (1) के खंड (ञ) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्, -

"निधि" का तात्पर्य केंद्रीय मोटर यान (मोटर यान दुर्घटना निधि) नियमावली, 2022 के नियम 2 के उप-नियम (ख) में परिभाषित मोटर यान दुर्घटना निधि से है;";

(vii) इस प्रकार क्रमांकित उप-पैरा (1) के खंड (ठ) के पश्चात निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्, -

"(ड) "राज्य सड़क सुरक्षा परिषद" का तात्पर्य अधिनियम की धारा 215 की उप-धारा (2) के अंतर्गत गठित, यथास्थिति, किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के लिए परिषद से है।";

(viii) इस प्रकार क्रमांकित खंड (1) के पश्चात निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्, -

"(2) इस स्कीम में प्रयुक्त शब्द और अभिव्यक्तियाँ, जो इसमें परिभाषित नहीं हैं, किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, उनके वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में क्रमशः उन्हें दिए गए हैं।"

3. उक्त स्कीम में, पैरा 3 में, -

(i) खंड (घ) और (झ) में, 'सामान्य बीमा' शब्द के स्थान पर, 'जीआई' शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ii) खंड (ज) में, 'निदेशक' शब्द के स्थान पर, 'उप सचिव के पद से नीचे का अधिकारी नहीं' शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

4. उक्त स्कीम में, पैरा 5 में, -

(i) खंड (क) में, 'सामान्य बीमा' शब्द के स्थान पर, 'जीआई' शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ii) खंड (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्, -

"पैरा 13ए के तहत निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा उठाए गए मुद्दों पर विचार करना और स्कीम के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी संबंधित अधिकारियों को मार्गदर्शन या निर्देश प्रदान करना, जिसमें धोखाधड़ी की रोकथाम भी शामिल है, जहाँ भी आवश्यक हो;"

(iii) खंड (घ) का लोप किया जाएगा;

(iv) खंड (घ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्, -

"(ङ) मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, यदि उचित समझा जाए, तो इस स्कीम के उपबंधों के उल्लंघन के लिए अधिनियम की धारा 161 की उपधारा (4) के खंड (ख) के अधीन समुचित कार्रवाई करने के लिए केंद्र सरकार या राज्य सरकार को सिफारिशें करना।"

5. उक्त स्कीम में पैरा 11 और 12 का लोप किया जाएगा।

6. उक्त स्कीम में, पैरा 13 के स्थान पर निम्नलिखित पैरा प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"13. जिला सड़क सुरक्षा समिति की शक्तियाँ और कार्य- (1) जिला सड़क सुरक्षा समिति जिला स्तर पर इस स्कीम के कार्यान्वयन से संबंधित निम्नलिखित कार्य करेगी, अर्थात्: -

(क) संबंधित जिले में इस स्कीम के कार्यान्वयन का मूल्यांकन करना और जहाँ आवश्यक हो, सुधारात्मक कदम उठाना;

(ख) संबंधित जिले में प्राप्त, अधिनिर्णित या लंबित दावा आवेदनों और लंबित रहने के कारणों के बारे में इलेक्ट्रॉनिक रूप में सहित, माहवार आँकड़े रखना;

(ग) जिले में अन्य प्राधिकारियों के साथ निकट संपर्क बनाए रखना ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि इस स्कीम का पर्याप्त प्रचार हो;

(घ) जहाँ आवश्यक हो, दावेदारों को मार्गदर्शन प्रदान करना;

(ङ) इस स्कीम के तहत दावेदारों को उपलब्ध अधिकारों और प्रतिकर के प्रावधान के बारे में जागरूक करना; और

(च) पैरा 13ए के तहत निर्दिष्ट एजेंसी या प्राधिकरण को इस स्कीम के संबंध में जानकारी प्रदान करना।

(2) जब भी उप-पैरा (1) में प्रदत्त कार्यों को किया जाता है तब संबंधित दावा जांच अधिकारी और इस स्कीम के पैरा 19 के तहत नामित अधिकारी को जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठकों में आमंत्रित किया जा सकता है।"

7. उक्त स्कीम में, पैरा 13 के पश्चात् निम्नलिखित पैरा अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्,—

"13ए. राज्य स्तर पर निगरानी- (1) राज्य सड़क सुरक्षा परिषद या राज्य सरकार द्वारा नामित कोई अन्य एजेंसी या प्राधिकरण, संबंधित राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में, जैसा भी मामला हो, इस स्कीम के कार्यान्वयन से संबंधित निम्नलिखित कार्य कर सकता है, अर्थात्,—

(क) इस स्कीम के कार्यान्वयन की प्रगति का मूल्यांकन करना और जहां आवश्यक हो, सुधारात्मक कदम उठाना;

(ख) प्राप्त, अधिनिर्णित, लंबित दावा आवेदनों और लंबित रहने के कारणों के बारे में इलेक्ट्रॉनिक रूप में मासिक आंकड़ों की समीक्षा करना;

(ग) इस स्कीम के कार्यान्वयन में सुधार के लिए संबंधित जिला अधिकारियों को निर्देश जारी करना;

(घ) इस स्कीम के संबंध में केंद्र सरकार या स्थायी समिति को जानकारी प्रदान करना या कार्यान्वयन संबंधी मुद्दे उठाना।

8. उक्त स्कीम में, पैरा 14, 15, 16, 17 और 18 का लोप किया जाएगा।

9. उक्त स्कीम में, पैरा 19 में, 'सामान्य बीमा' शब्द के स्थान पर, 'जीआई' शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा।

10. उक्त स्कीम में, पैरा 20 में, उप-पैरा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्, -

"आवेदक इस स्कीम के अंतर्गत प्रतिकर की मांग करते हुए फॉर्म 1 में एक आवेदन, फॉर्म 4 में एक वचनबद्धता और फॉर्म 1 में उल्लिखित ऐसे अन्य दस्तावेजों के साथ, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों सहित, उस उप-मंडल या तालुका के दावा जांच अधिकारी को प्रस्तुत करेगा जिसमें दुर्घटना हुई थी।"

11. उक्त स्कीम में, पैरा 21 में, -

(i) उप-पैरा (2) में, खंड (ख) में, "दावा निपटान आयुक्त" शब्दों के पश्चात, "पोर्टल पर" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे;

(ii) उप-पैरा (3) में, "दावा जाँच अधिकारी को रिपोर्ट करें" शब्दों के पश्चात् "पोर्टल पर" शब्द अंत:स्थापित किए जाएँगे।

12. उक्त स्कीम में, पैरा 22 में, -

(i) उप-पैरा (1) में, -

(क) "उप-पैरा (2) के अध्यधीन," शब्दों के स्थान पर "पर" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएँगे;

(ख) "और दावेदार से प्राप्त प्रपत्र और दस्तावेज़, केंद्रीय मोटर यान (मोटर यान दुर्घटना निधि) नियमावली, 2022 के नियम 4 के अंतर्गत गठित ट्रस्ट या सामान्य बीमा परिषद को, जैसा भी मामला हो" शब्दों के स्थान पर, "केंद्रीय मोटर यान (मोटर यान दुर्घटना निधि) नियमावली, 2022 के नियम 4 के अंतर्गत गठित ट्रस्ट द्वारा प्रशासित निधि के हिट एंड रन प्रतिकर खाते से भुगतान के लिए, पोर्टल के माध्यम से भी, जीआई परिषद को" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएँगे;

(ग) खंड (ङ) में, "सामान्य बीमा परिषद मुख्यालय" शब्दों के स्थान पर, "सदस्य-सचिव, जिला सड़क सुरक्षा समिति" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(ii) उप-पैरा (2) और उसके परंतुकों का लोप किया जाएगा।

13. उक्त स्कीम में, पैरा 23 के उप-पैरा (3) में, -

(i) 'सामान्य बीमा' शब्द के स्थान पर, 'जीआई' शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ii) शब्द "और दावेदार से प्रपत्र और दस्तावेज" का लोप किया जाएगा।

14. उक्त स्कीम में, पैरा 23 के उप-पैरा (4) में, परंतुक के पश्चात, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्, -

"इसके अतिरिक्त, उप-पैरा (3) के अंतर्गत भुगतान करने के लिए दावेदार द्वारा प्रस्तुत आवश्यक विवरणों में किसी कमी के मामले में, जिसमें बैंक खाते का विवरण भी शामिल है परंतु उस तक सीमित नहीं है, जीआई परिषद, संबंधित दावा निपटान आयुक्त के साथ समन्वय करके, इस उप-पैरा में निर्दिष्ट अवधि के भीतर, दावेदार से आवश्यक जानकारी मांग सकती है।"

15. उक्त स्कीम में, पैरा 24 में, 'सामान्य बीमा' शब्द के स्थान पर, 'जीआई' शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा।

16. उक्त स्कीम में, प्रारूप 1 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रारूप प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्, -

प्ररूप I

[पैरा 20 (1)]

टक्कर मारकर भागने मामले में मोटर यान दुर्घटना पीड़ितों के लिए प्रतिकर स्कीम, 2022

आवेदन फार्म

गंभीर चोट के मामले में:*

मैं, ...पुत्र/पुत्री/पति/पत्नी ....निवासी .... दिनांक ....को ....पर **टक्कर मार कर भागने** मोटर वाहन दुर्घटना में गंभीर रूप से चोटिल हो गया/गई हूँ, और इस कारण से द्वारा केंद्र सरकार के मोटर वाहन दुर्घटना कोष से मुझे लगी गंभीर चोटों के लिए मुआवजे (प्रतिकर) के लिए आवेदन करता/करती हूँ। मुझे लगी चोट के संबंध में आवश्यक विवरण नीचे दिए गए हैं:-

मृत्यु के मामले में:*

मैं, ...पुत्र /पुत्री/पति/ पत्नी... के कानूनी प्रतिनिधि के रूप में, जिनकी मृत्यु .... को .... पर टक्कर मार भागने मोटर वाहन दुर्घटना में हुई थी / उन्हें चोटें आई थीं। इस कारण से मैं मोटर वाहन दुर्घटना निधि से मृत्यु/चोट के कारण प्रतिकर के लिए आवेदन करता/करती हूँ। दुर्घटना के संबंध में आवश्यक विवरण और अन्य जानकारी नीचे दी गई है:-

1. चोटिल/मृत व्यक्ति का नाम और पिता का नाम (विवाहित महिला या विधवा की दशा में पति का नाम).... (जो चोटिल/मृत है, के पहचान पत्र की प्रति संलग्न करें)

2. चोटिल/मृत व्यक्ति का पता....

3. चोटिल/मृत व्यक्ति की जन्म तिथि ....

4. चोटिल/मृत व्यक्ति का लिंग....

5. गंभीर चोट की दशा में दावाकर्ता की आधार संख्या या मृत्यु की स्थिति में विधिक प्रतिनिधि की आधार संख्या ... (दावाकर्ता के पहचान प्रमाण की एक प्रति संलग्न करें)

6. दावाकर्ता का संपर्क विवरण (मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी)....

7. चोटिल व्यक्ति/मृत व्यक्ति के विधिक प्रतिनिधि के बैंक खाता विवरण...

(i) बैंक का नाम:

(ii) खाता संख्या:

(iii) आईएफएससी:

(iv) दावाकर्ता की बैंक पासबुक/बैंक स्टेटमेंट की प्रति, जिसमें बैंक का नाम, आईएफएससी, शाखा आदि का विवरण हो।

8. दुर्घटना का स्थान, तारीख और समय...... (एफआईआर की प्रति संलग्न करें)

9. कारित चोटों की प्रकृति...... (पोस्टमार्टम रिपोर्ट/चोटिल रिपोर्ट की प्रति संलग्न करें)

10. मृतक की मृत्यु के संबंध में मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति

11. उस पुलिस थाने का नाम और पता जिसकी अधिकारिता में दुर्घटना हुई थी या पंजीकृत की गई थी...

12. उस अस्पताल/चिकित्सा अधिकारी/चिकित्सक का नाम और पता, जिन्होंने चोटिल/मृत व्यक्ति का उपचार किया...

13. दावाकर्ता / दावाकर्ताओं के नाम और पता:

14. मृतक के साथ नातेदारी:

15. कोई अन्य सूचना जो दावे के निपटान के लिए आवश्यक या उपयोगी समझी जाए :

मैं शपथ लेता/लेती हूं और पुष्टि करता/करती हूं कि उपरोक्त वर्णित तथ्य मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास अनुसार सत्य हैं।

तारीख:

स्थान:

ई-हस्ताक्षर / दावेदार के हस्ताक्षर

*जो लागू न हो उसे काट दें।

कार्यालय के उपयोग के लिए

आवेदन संख्या...........

.... का आवेदन मोटर वाहन दुर्घटना निधि से मुआवजे के लिए अधोहस्ताक्षरी को प्राप्त हो गया है।

तारीख:

दावा जांच अधिकारी के हस्ताक्षर"।

16. उक्त स्कीम में, प्रपत्र II में, -

(i) शीर्षक के स्थान पर निम्नलिखित शीर्षक प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"टक्कर मारकर भागने मामले में मोटर यान दुर्घटना पीड़ितों के लिए प्रतिकर स्कीम, 2022

दावा जांच रिपोर्ट ";

(ii) शीर्षक के पश्चात , दाहिनी ओर निम्नलिखित शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्,—

"आवेदन संख्या........... ";

(iii) क्रम संख्या 1 के पश्चात् , अर्थात्, “1. मृत/चोटिल व्यक्ति का नाम और पता:” निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्,—

“1ख. दावाकर्ता का संपर्क विवरण (मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी): ”;

(iv) क्रम संख्या 2 के पश्चात् , अर्थात्, “2. दुर्घटना का स्थान, समय और तारीख: ”, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्,—

“2ए. इलेक्ट्रॉनिक विस्तृत दुर्घटना रिपोर्ट (ईडीएआर) पीड़ित का आईडी: ”;

(v) क्रम संख्या 8 और उसकी प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा।

17. उक्त स्कीम में, प्ररूप III के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्, -

“

प्ररूप III

[पैरा 22 (1)]

“टक्कर मारकर भागने मामले में मोटर यान दुर्घटना पीड़ितों के लिए प्रतिकर स्कीम, 2022

आदेश

क्रम संख्या.............

दावा निपटान आयुक्त

जिला................

सेवा में,

सामान्य बीमा परिषद

मोटर वाहन दुर्घटना निधि ट्रस्ट

की ओर से

गंभीर चोट के मामले में:

मैं एतद्वारा .... (चोटिल का नाम) को .... (स्थान का नाम) पर ....(दिनांक) को हुई चोटिल मोटर दुर्घटना के परिणामस्वरूप हुई गंभीर चोट के लिए प्रतिकर के रूप में रु. .... (रुपये ....केवल) स्वीकृत करता/करती हूँ।

मृत्यु के मामले में:

मैं एतद्वारा .... (मृतक का नाम) के विधिक प्रतिनिधि .... (मृतक के विधिक प्रतिनिधि का नाम) को ....(स्थान का नाम) पर ....(दिनांक) को हुई **टक्कर मारकर भागने मामले में मोटर यान दुर्घटना पीड़ितों** के संबंध में प्रतिकर के रूप में रुपये ....(रुपये ....मात्र) स्वीकृत करता/करती हूँ।

दावे का विवरण इस प्रकार है:

1. आवेदन संख्या......

2. आवेदन की तिथि......

3. दावा जांच रिपोर्ट की तिथि......

4. एफआईआर नं....

5. ई-डीएआर पीड़ित आईडी....

6.बैंक विवरण:

(i) बैंक का नाम....

(ii) खाता संख्या....

(iii) आईएफएससी...

तारीख............

हस्ताक्षर और मुहर

दावा निपटान आयुक्त

प्रति:

1. दावाकर्ता

2. दावा जांच अधिकारी

3. मोटर यान दुर्घटना दावा अधिकरण

4. सदस्य-सचिव, जिला सड़क सुरक्षा समिति"।

[फा. सं. आरटी-11014/37/2025-एमवीएल]

महमूद अहमद, अपर सचिव

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना संख्या सा.का.नि 163(अ), दिनांक 25 फरवरी , 2022 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th October, 2025

G.S.R. 755(E).—The following draft rules to amend the Compensation to Victims of Hit and Run Motor Accidents Scheme, 2022, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by section 161 and sub-section (4) of section 215 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988) is hereby published as required by sub-section (1) of Section 212 of the said Act for information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft rules shall be taken into consideration after the expiry of a period of thirty days from the date on which the copies of this notification as published in the Gazette of India, are made available to the public.

Objections or suggestions, if any, may be sent to the Additional Secretary (MVL), Ministry of Road Transport and Highways, Transport Bhawan, Parliament Street, New Delhi-110 001, Email: comments-morth@gov.in. Any objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft rules before the expiry of the period aforesaid will be considered by the Central Government.

DRAFT RULES

1. Short title and commencement. - (1) These rules may be called as the Compensation to Victims of Hit and Run Motor Accidents (Amendment) Scheme, 2025.

(2) It shall come into effect from the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Compensation to Victims of Hit and Run Motor Accidents Scheme, 2022 (hereinafter referred to as the said scheme), in paragraph 2,—

(i) the paragraph 2 shall be numbered as sub-paragraph (1);

(ii) clauses (b), (c) and (d) of sub-paragraph (1) as so numbered shall be omitted;

(iii) for clause (g) of sub-paragraph (1) as so numbered, the following clause shall be substituted, namely,—

"(g) "District Road Safety Committee" means a Committee set up under sub-section (3) of section 215 of the Act;";

(iv) after clause (h) of sub-paragraph (1) as so numbered, the following clause shall be inserted, namely, —

"(ha) "GI Council" means the General Insurance Council constituted under section 64C of the Insurance Act, 1938 (4 of 1938);"

(v) after clause (i) of sub-paragraph (1) as so numbered, the following clause shall be inserted, namely, —

"(ia) "portal" means a web or electronic based system developed and managed by the General Insurance Council for the purpose of this scheme;";

(vi) for clause (j) of sub-paragraph (1) as so numbered, the following shall be substituted, namely, —

"Fund" means the Motor Vehicle Accident Fund as defined in sub-rule (b) of rule 2 of the Central Motor Vehicles (Motor Vehicle Accident Fund) Rules, 2022;";

(vii) after clause (l) of sub-paragraph (1) as so numbered, the following clause shall be inserted, namely, —

"(m) "State Road Safety Council" means the Council for a State or Union Territory, as the case may be, constituted under sub-section (2) of section 215 of the Act.";

(viii) After clause (1) as so numbered, following clause shall be inserted, namely, —

"(2) Words and expressions used in this Scheme and not defined herein, but defined in the Act, shall have the meanings respectively assigned to them in the Act."

3. In the said scheme, in paragraph 3, —

(i) in clause (d) and (I), for the word 'General Insurance', the word 'GI' shall be substituted;

(ii) in clause (h), for the word "Director", the words "an officer not below the rank of Deputy Secretary" shall be substituted.

4. In the said scheme, in paragraph 5, —

(i) in clause (a), for the word 'General Insurance', the word 'GI' shall be substituted;

(ii) for clause (b), the following shall be substituted, namely, —

"consider the issues raised by the authority specified under paragraph 13A and provide guidance or directions to concerned officials responsible for implementation of the Scheme, including on prevention of fraud, wherever called for;"

(iii) clause (d) shall be omitted;

(iv) after clause (d), the following clause shall be inserted, namely, —

"(e) having regards to the circumstances of the case, if deemed appropriate, make recommendations to the Central Government or State Government for taking appropriate action under clause (b) of sub-section (4) of section 161 of the Act for contravention of provisions of this scheme.".

5. In the said scheme, paragraphs 11 and 12 shall be omitted.

6. In the said scheme, for paragraph 13, the following paragraph shall be substituted, namely, —

"**13. Powers and functions of the District Road Safety Committee**. — (1) The District Road Safety Committee shall undertake following functions connected with the implementation of this scheme at the District Level, namely: —

(a) to evaluate the implementation of this scheme in the concerned District and take corrective steps, wherever necessary;

(b) to maintain month-wise statistics, including in electronic form, about the claim applications received, awarded or pending and reasons for pendency in the concerned District;

(c) to keep close liaison with other authorities in the district so as to ensure that this scheme gets adequate publicity;

(d) to provide guidance to claimants, wherever called for;

(e) to raise awareness about the rights available to claimants and the provision of compensation under this scheme; and

(f) to furnish information in respect of this scheme to the agency or authority specified under paragraph 13A.

(2) The concerned Claims Enquiry Officer and the officer nominated under paragraph 19 of this scheme may be invited in the meetings of the District Road Safety Committee whenever the functions provided for in sub-paragraph (1) are undertaken."

7. In the said scheme, after paragraph 13, the following paragraph shall be inserted, namely,—

"**13A. Monitoring at State Level**.- (1) The State Road Safety Council or any other such agency or authority as may be designated by the State Government may undertake following functions connected with the implementation of this scheme in the concerned State or Union Territory, as the case may be, namely, —

(a) to evaluate the progress of implementation of this scheme and take corrective steps, wherever necessary;

(b) to review month-wise statistics, including in electronic form, about the claim applications received, awarded, pending and reasons for pendency;

(c) to issue directions to concerned district authorities for improving the implementation of this scheme;

(d) to furnish information or raise implementation related issue to the Central Government or Standing Committee in respect of this scheme.".

8. In the said scheme, paragraphs 14, 15, 16, 17 and 18 shall be omitted.

9. In the said scheme, in paragraph 19, for the word 'General Insurance', the word 'GI' shall be substituted.

10. In the said scheme, in paragraph 20, for sub-paragraph (1), the following shall be substituted, namely, —

"The applicant shall submit an application seeking compensation under this scheme in Form I, along with an undertaking in Form IV, and such other documents mentioned in Form I, including through electronic means, to the Claims Enquiry Officer of the Sub-Division or Taluka in which the accident took place."

11. In the said scheme, in paragraph 21, —

(i) in sub-paragraph (2), in clause (b), after the words "Claims Settlement Commissioner", the words "on the portal" shall be inserted;

(ii) in sub-paragraph (3), after the words "report to the Claims Enquiry Officer", the words "on the portal" shall be inserted.

12. In the said scheme, in paragraph 22, —

(i) in sub-paragraph (1), —

> (a) for the words, "Subject to sub-paragraph (2), on", the word "On" shall be substituted;
>
> (b) for the words, "and the Forms and documents received from the claimant, to the Trust constituted under rule 4 of the Central Motor Vehicles (Motor Vehicle Accident Fund) Rules, 2022 or the General Insurance Council, as the case may be", the words "to the GI Council, including through the portal, for payment from the Hit and Run Compensation Account of the Fund administered by the Trust constituted under rule 4 of the Central Motor Vehicles (Motor Vehicle Accident Fund) Rules, 2022" shall be substituted;
>
> (c) in clause (e), for the words "General Insurance Council headquarters", the words "Member-Secretary, District Road Safety Committee shall be substituted;

(ii) sub-paragraph (2) and the provisos thereto shall be omitted.

13. In the said scheme, in paragraph 23, in sub-paragraph (3), —

(i) for the word 'General Insurance', the word 'GI' shall be substituted;

(ii) words "and the Forms and documents from claimant," shall be omitted.

14. In the said scheme, in paragraph 23, in sub-paragraph (4), after the proviso, following shall be inserted, namely, —

"Provided further that in case of any deficiency in the particulars furnished by the claimant necessary for making the payment under sub-paragraph (3), including but not limited to bank account details, the GI Council, in coordination

with the concerned Claim Settlement Commissioner, may, within the period specified in this sub-paragraph, seek the necessary information from the claimant."

15. In the said scheme, in paragraph 24, for the word 'General Insurance', the word 'GI' shall be substituted.

16. In the said scheme, for Form I, the following Form shall be substituted, namely, —

"

FORM I

[Paragraph 20 (1)]

COMPENSATION TO VICTIMS OF HIT AND RUN MOTOR ACCIDENTS SCHEME, 2022

Application Form

For grievous hurt case:*

I, ...son / daughter / spouse of .... residing at .... having been grievously injured in hit and run motor vehicle accident on .... at ....hereby apply for grant of compensation for the grievous injuries sustained from the Central Government's Motor Vehicle Accident Fund. Necessary particulars in respect of the injury sustained by me are given below:-

For death case:*

I, ...son / daughter / spouse of..................... residing at ...., as a legal representative of .... son / daughter / spouse of.................................... who died / had sustained injuries in hit and run motor vehicle accident on .... at ...., hereby apply for the grant of compensation on account of death/injuries from the Motor Vehicle Accident Fund. Necessary particulars in respect of accident and other information are given below:-

1. Name and father's name of person injured / dead (husband's name in case of married woman or widow).... (attach copy of the ID proof of the victim, who is injured/dead)

2. Address of the person injured / dead....

3. Date of Birth of the person injured / dead ....

4. Gender of the person injured / dead....

5. Aadhaar Number of the claimant in case of grievous hurt or of legal representative in case of death....(attach a copy of ID proof of the claimant)

6. Contact details of the claimant (mobile number, email ID)....

7. Bank account details of the person injured / legal representative of the deceased…...

(i) Name of bank:

(ii) Account number:

(iii) IFSC:

(iv) Copy of Bank Passbook / Bank Statement of the claimants, which gives details regarding the name of the bank, IFSC, branch, etc.

8. Place, date and time of the accident……...(attach copy of FIR)

9. Nature of injuries sustained……...(attach copy of Post Mortem Report/Injury Report)

10. Copy of Death Certificate on account of death of victim

11. Name and address of Police Station in whose jurisdiction accident took place or was registered...

12. Name and address of the Hospital/Medical Officer/Practitioner who attended on the injured/dead...

13. Name and address of the claimant/claimants:

14. Relationship with the deceased:

15. Any other information that may be considered necessary or helpful in the disposal of the claim:

I hereby swear and affirm that all the facts noted above are true to the best of my knowledge and belief.

Date:

Place:

e-signature / signature of the claimant

*Strike out whichever is not applicable.

OFFICE USE

Application No...........

The application of .... for compensation from Motor Vehicle Accident Fund has been received by the undersigned.

Date:

Signature of the Claims Enquiry Officer".

16. In the said scheme, in Form II, -

(i) for the title, the following title shall be substituted, namely:-

"**COMPENSATION TO VICTIMS OF HIT AND RUN MOTOR ACCIDENTS SCHEME, 2022**

Claim Enquiry Report";

(ii) after the title, on the right-hand side, the following words shall be inserted, namely,—

"Application No...........";

(iii) after serial number 1 namely, "1. Name and address of the person dead/injured:" the following serial number and entry shall be inserted, namely,—

"1b. Contact details of the claimant (mobile number, email ID):";

(iv) after serial number 2 namely, "2. Place, time and date of the accident:", the following serial number and entry shall be inserted, namely,—

"2A. Electronic Detailed Accident Report (eDAR) Victim ID:";

(v) serial number 8 and the entries thereto shall be omitted.

17. In the said scheme, for Form III, the following Form shall be substituted, namely, —

"

FORM III

[Paragraph 22 (1)]

COMPENSATION TO VICTIMS OF HIT AND RUN MOTOR ACCIDENTS SCHEME, 2022

Sanction Order

Serial No.............

Claims Settlement Commissioner

District................

To,

General Insurance Council

On behalf of

Motor Vehicle Accident Fund Trust

For grievous hurt case:

I hereby sanction Rs. …………………... (Rupees …………………………only) to .... (name of the injured) as compensation for grievous hurt resulting from hit and run motor accident which took place at...........(Name of place) on.......(Date).

For death case:

I hereby sanction Rs. …………………... (Rupees …………………………only) to the legal representative .... (name of legal representative of deceased) of .... (name of deceased) as compensation in respect of the death resulting from hit and run motor accident which took place at...........(name of place) on.......(Date).

The particulars of the claim are as follows:

1. Application No......
2. Date of application......
3. Date of Claims Enquiry Report......
4. FIR No....
5. eDAR Victim ID....
6. Bank details:
   (i) Name of bank....
   (ii) Account number....
   (iii) IFSC...

Date.............

Signature and seal of the
Claims Settlement Commissioner

Copy to:

1. Claimant
2. Claims Enquiry Officer
3. The concerned Motor Accident Claims Tribunal
4. Member-Secretary, District Road Safety Committee".

[F. No RT-11014/37/2025-MVL]

MAHMOOD AHMED, Addl. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i), vide notification number G.S.R. 163(E), dated the 25th February, 2022.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
GORAKHA NATH YADAVA
Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA
Date: 2025.10.17 15:08:20 +05'30'